

मध्यप्रदेश विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक:- 1580

द्वारा:- श्री संजय उईके विधायक

नवीनीकरण/पुनर्निर्माण (रीकार्पेटिंग/मजबूतीकरण) की जानकारी

क्र.	मार्ग का नाम	कुल लंबाई	स्वीकृत कार्य का विवरण	स्वीकृत लंबाई	प्रशासकीय स्वीकृति राशि (लाख में)	विभाग द्वारा उठाये गये कदम	टीप
1	बैहर से साल्हेटेकरी मार्ग (राज्य राजमार्ग क्र. 48)	53.40	मजबूतीकरण	0.750	176.11	कार्य प्रगति पर।	मजबूतीकरण कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा 30.03.2026। शेष 21.25 किमी. में नवीनीकरण का कार्य प्रस्तावित। वर्तमान में कार्य स्वीकृत न होने के कारण नवीनीकरण कार्य पूर्ण करने की सम्भ-सीमा बाताया जाना संभव नहीं है। [सम्भ-1580]
2	बालाघाट से बैहर मार्ग (राज्य राजमार्ग क्र. 47)	67.00	नवीनीकरण	19.00	739.99	मार्ग के 19.00 किमी में बी.टी. नवीनीकरण कार्य हेतु दिनांक 08/01/2026 को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसकी निविदा की कार्यवाही प्रचलन में है।	कार्यादेश पश्चात 04 माह की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
3	गढ़ी से टोपला-चिल्पी मार्ग (राज्य राजमार्ग क्र. 47)	30.00	मरम्मतीकरण	30.00	78.94	मार्ग मरम्मत हेतु दिनांक 03/02/2026 को राशि रु. 78.94 की स्वीकृति प्रदाय की गई।	मार्ग मरम्मत हेतु कार्यादेश दिनांक 04.02.2026 को जारी। 02 माह की समय-सीमा निर्धारित।

[ 20/2/2026 ]

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

म. प्र. शासन

लोक निर्माण विभाग